

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

शंकरलाल बनाम रामकिशोर

35/20

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही  
20/11/24

पत्रावली पेश हुई वसुलाय डपण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं पूर्व में प्रमाण पत्र आपत्ति कुर्जात पर मनन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 30/01/2024 के प्रमाण द्वारा प्राप्त विभाजन सस्ताव राजकाशकारी अधिनियम 1955 के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए एवं मीरस एण्ड बाउंडरी के आधार पर कुर्जात रिपोर्ट तैयार होकर प्राप्त होना प्रति होने प्रमाण पत्र आपत्ति कुर्जात खारिज किया जाकर मुताबिक विभाजन सस्ताव तहसीलदार बस्सी वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आनिम डिक्ली किया जाता है पत्रावली केवल शुमार होकर बाद तकनील दामिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक - 20/11/24 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी, जिला-जयपुर